न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर/2006/4922/गंगानगर।

सुखवीर सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह जाति जट सिख निवासी 12 जी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार।

..... प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य

उपस्थिति :-
श्री आर. एस. बराड़, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्रीमति अर्चना गौतम, विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक 10/03/2026.

1- हस्तगत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-76 के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 120/2006 बउनवान सुखवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03-07-2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 12 जी.डी. ने अपीलार्थी सुखवीर सिंह के द्वारा चक 13 जी.डी. के मुरब्बा नंबर 205/47, 205/39 कुल 8.374 है0 पर नाजायज काश्त किये जाने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा-22 के तहत् बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहसीलदार घड़साना द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 17-04-2006 को पारित कर दिया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील निर्णय दिनांक 03-07-2006 के द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को हस्तगत अपील के गुणावगुण पर सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि अपीलाधीन निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार घड़साना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आराजी जागीरदार घडसाना की थी और जागीरदार ने उक्त आराजी गोकुल चन्द वगैरह को काश्तकार के रूप में दे रखी थी और गोकुल चन्द से अपीलार्थी ने उक्त आराजी खरीद कर रखी है और अरसा 15–20 साल से पहले अपीलार्थी के पिता शमशेर सिंह इस पर काश्त करता चला आ रहा था तथा पिता के देहान्त के पश्चात् अपीलार्थी काबिज काश्त है। सहायक कलक्टर अनूपगढ़ ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त कर दिया तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 05–08–1989 को स्वीकार कर अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। राजस्व मण्डल के समक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05–08–1989 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध लक्ष्मीनारायण पुत्र गोकुलचन्द ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्टेट बनाम मोहनसिंह व अन्य कई अपीलों में मामला पुनः सहायक कलक्टर को रिमाण्ड किया और निर्णय में अंकित किया कि जब तक सहायक कलक्टर इन प्रकरणों का निर्णय नहीं करे तब तक विवादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करे और अपीलार्थी के केस की परिस्थिति एक सी होने के कारण मामला इसी शर्त के साथ रिमाण्ड कर दिया। अपीलार्थी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2691 निर्णय दिनांक 28–11–2002 की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत की, किन्तु उक्त रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर क्यों नहीं हुआ अथवा क्या रिमाण्ड प्रकरण पेण्डिंग तो नहीं है, इस बाबत कोई जांच नहीं की गई। महज उपखण्ड अधिकारी घड़साना की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण विचाराधीन नहीं माना जबकि अपीलार्थी ने सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश किये उनकी कोई जांच नहीं की और अतिक्रमी घोषित कर दिया। ऐसी सूरत में इस आराजी के बाबत खातेदारी का फैसला किये बिना बेदखली एवं तावान की कार्यवाही नहीं की जा सकती और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में जब तक सहायक कलक्टर द्वारा धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निर्णय नहीं करते तब तक अपीलार्थी को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, फिर भी परीक्षण न्यायालय ने धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत् कार्यवाही करके कानूनी भूल की है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाये।

4– विरोध में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के अनुकूल होने से समर्थन योग्य है। अपीलार्थी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, जिस पर विधिनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश की पुष्टि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी की है। सहायक कलक्टर के समक्ष कोई रिमाण्ड प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा

इस संबंध में उनका पत्र भी पत्रावली में शामिल है। अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर वैध रूप से काबिज होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा विवादित भूमि सरकारी भूमि है जिससे अपीलार्थी के अवैध रूप से काबिज होने के फलस्वरूप बेदखली की कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

5– उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार तहसीलदार (राजस्व) घड़साना द्वारा संबंधित पटवारी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिनांक 17–04–2006 को पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की पुष्टि राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णय दिनांक 03–07–2006 से खारिज किया है तथा अपील खारिज करने का मुख्य आधार अपीलार्थी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया जाना एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्र दिनांक 22–03–2006 के अनुसार विवादित भूमि बाबत् कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना रहा है। पत्रावली पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जोधपुर के समक्ष लक्ष्मी नारायण पुत्र गोकल चन्द द्वारा रिट याचिका संख्या 2691/2000 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2002 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है। उक्त रिट याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2002 निम्नानुसार है :–

"Both the learned counsel submit that a division bench of this Court in case of State of Rajasthan vs. Mohan Singh & ors. reported in 2002 (2) RRT 697, has disposed of number of petitions.

On the same terms and reasons, all these petitions are disposed of and the competent authority will re-examine the matter afresh after giving an opportunity of hearing to the petitioner."

6– उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका का निस्तारण राजस्थान सरकार बनाम मोहन सिंह वगैरह, 2002 (2) आरआरटी 697 के अनुसरण में किया गया है। उक्त रिट याचिका के अंतिम पैरा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ‘‘Until the decision is made by the Assistant Collector, the petitioner's possession shall not be disturbed.’’

7– उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार बनाम मोहनसिंह में पारित उक्त आदेश के क्रम में जब तक सहायक कलक्टर द्वारा निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता तब तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् आदेश प्रदान कर रिट याचिका संख्या 2691/2002 में

पारित आदेश दिनांक 28-11-2002 के माध्यम से प्रकरण पुनः नये सिरे से विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पत्र दिनांक 22-03-2006 से अपीलार्थी का कोई प्रकरण उनके समक्ष विचाराधीन नहीं होना अवगत करवाया गया है, किन्तु न्यायहित में यह भी नितांत आवश्यक है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 28-11-2002 की पालना में प्रकरण उनके समक्ष दर्ज हुआ अथवा नहीं और यदि दर्ज हुआ है तो प्रकरण की वस्तुस्थिति क्या रही, इस बाबत् भी पर्याप्त जांच किया जाना आवश्यक है। केवल मात्र प्रकरण दर्ज नहीं होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को अनदेखा नही किया जा सकता है।

8- हस्तगत प्रकरण बेदखली से संबंधित है तथा अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि प्रश्नगत आराजी गोकुलचन्द से अपीलार्थी ने खरीद की है तथा वह विधिनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार सहायक कलक्टर के निर्णय पारित करने तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् आदेश प्रदान किये गये। अतः उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में वापिस लौटे हुए प्रकरण की वस्तुस्थिति बाबत् एवं अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

9- परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अंशतः स्वीकार की जाकर तहसीलदार (राजस्व) घड़साना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-04-2006 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-07-2006 अपास्त किये जाते हें तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को उपरोक्त पैरा संख्या-7 व 8 के क्रम में अग्रिम कार्यवाही/जांच हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी तहसीलदार (राजस्व) घडसाना के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-04-2026 को पेश हो।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। उभय पक्ष को इस निर्णय की सूचना जरिये अधिवक्तागण दी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य